

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 120 /2020 दिनांक : ०९.०१.२०२०

श्री हरीवल्लभ खत्री (RJ0296), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर को दिनांक 04.12.2019 से 11.12.2019 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री खत्री की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
०९.०१.२०२०
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/०६/१९९७/ २३५

दिनांक : ०९.०१.२०२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर को उनके पत्रांक 549 दिनांक 12.12.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री हरीवल्लभ खत्री (RJ0296), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर।

०९.०१.२०२०
सहायक रजिस्ट्रार